अध्याय द्वितीय

संबंधित शोध साहित्य का पुनरावलोकन

अध्याय द्वितीय

संबंधित शोध साहित्य का पुनरावलोकन

२.१ प्रस्तावना

किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान की प्रक्रिया में संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। शोध कार्य के अंतर्गत शोध संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन एक प्रारंभिक एवम् अनिवार्य प्रक्रिया है। वर्तमान ज्ञान की जानकारी के पश्चात ही ज्ञान को आगे बढ़ाया जा सकता है। संबंधित साहित्य से तात्पर्य है अनुसंधान की समस्या से संबंधित सभी प्रकार के साहित्य पुस्तकों ज्ञानकोश,पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशित तथा अप्रकाशित शोध प्रबंधो एवम् अभिलेखों आदि से है जिनके अध्ययन से अनुसंधान-कर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पना का निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा आदि तैयार करने में सहायता मिलती है।

जब तक अनुसंधानकर्ता को ज्ञान ना हो जाए किस क्षेत्र में कितना कार्य हो चुका है, तब तक वह न तो समस्या का निर्धारण कर सकता है और न ही उस दिशा में सफल हो सकता है।

.बार्टन एवम् आमरस्ट्रांग २००७ "समावेश करना तथा बाहर रखना सर्वत्र एक समान श्रेणियां नहीं होती। हर स्थिति अपने खुद के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वैश्विक तथा संदर्भगत प्रभावों के द्वारा निर्मित की जाती है"।

गुड़वार तथा स्केट्स १९५९ कहते है-

एक कुशल "चिकित्सक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने क्षेत्र में हो रही औषधि संबंधी आधुनिकतम के क्षेत्र में कार्य करने वाले तथा अनुसंधानकर्ता के लिए भी उस क्षेत्र में संबंधित सूचनाओं से परिचित होना आवश्यक है।

२.२ संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन का महत्व

निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट है –

१. वह व्याख्या की जाने वाली समस्या की पूरी तस्वीर प्रकट करता है।

२. ज्ञान के क्षेत्र में विस्तार के लिए यह आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को यह ज्ञात हो की ज्ञान कि वर्तमान सीमा कहाँ जाती है। वर्तमान ज्ञान कि जानकारी के पश्चात् ही ज्ञान को आगे बढ़ाया जा सकता है।

३. समस्या से संबंधित साहित्य के पुनरावलोकन से अन्य संबंधित नवीन समस्याओं का पता लगता है।

४. सत्यापन करने के लिए कुछ अनुसंधानों को नवीन दिशाओ में करने की आवश्यकता होती है।

५. किसी अनुसंधानकर्ता को पूर्व में वही अनुसंधान कार्य भली प्रकार किया जा चुका हो तो हमारा प्रयास निरर्थक साबित होगा अतः संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन हमारे अनुसंधानकर्ता के प्रयास को सार्थकता प्रदान करता है।

६. इससे अनुसंधानकर्ता को अपने अनुसंधान के विधान की रचना के संबंध में अनादृष्टि प्राप्त होती है।

२.३ समस्या से संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन

समस्या से सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन शोध के विषय हेतु शोधार्थी द्वारा इस समस्या पर किए गए शोधों का अध्ययन कर निम्न जानकारी प्राप्त की गई है

१. मार्टसन एवम् मैगनूसन १९९१ ने 'को आप्रेटिव टीचिंग प्रोजेक्ट' (सीटीपी) पर कार्य करके यह निष्कर्ष प्राप्त किया की विद्यालय रूप से असफल

छात्रों को समान कक्षा के साथ ही सप्ताह में कुछ समय विशेष अनुदेश देने से उनकी उपलब्धि पर सामान्य बच्चों की तरह ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

२. काम्प्स, बारबेट, लियोनार्ड एवम् डेलक्वाद्री १९९४ ने "क्लास वाइस पीयर ट्यूटोरींग (सी. डब्लयू .पी. टी.) विषय पर आत्मकेंद्रित एवम् गैर आत्मकेंद्रित वाले वे छात्र जो पहले कम सामाजिक थे ,सी डब्लयू पी टी के उपयोग के बाद अत्यधिक सामाजिक हो गए ।

३. फुस, माथेस एवम् साइमंस १९९७ ने 'पीयर असिस्टेड लर्निंग स्ट्रैटजी' (पी. ए.एल.एस.) प्रभावशीलता को अधिगम अक्षमता, गैर अभिगम अक्षम लेकिन कम उपलब्धि और सामान्य उपलब्धि वाले छात्रों पर देखा, निष्कर्ष से पता चला की अधिगम अक्षमता, गैर-अधिगम अक्षम लेकिन कम उपलब्धि और सामान्य उपलब्धि वाले छात्रों की उपलब्धि ' पीयर असिस्टेड लियरनिग स्ट्रैटजी' की वजह से सार्थक रूप से बढ़ गया।

४. स्टीवेन एंड स्लेविन १९९४ का उपयोग दिव्यांग तथा सामान्य विद्यार्थियों पर किया जिसमें उनको दूसरे सहपाठियों के साथ कहानी को मौन रूप से और फिर बोलकर पढ़ने को दिया , साथ ही उसमें प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी कराई गई। निष्कर्ष में पाया गया कि सह अभिगमन उपागम दिव्यांग तथा सामान्य विद्यार्थियों को पढ़ने समझने में बेहतर सहायता करता है।

५. इवांस एवम् स्लेविन १९९७ ने न्यूयार्क में दिव्यांग तथा सामान्य विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार "कोलाबोरेटीव प्रॉब्लम सॉल्विंग "(सीपीएस) का प्रभाव देखा ओर बताया कि को शारीरिक, सामाजिक एवम् शैक्षिक रूप से दिव्यांग छात्रों के लिए एक महत्वूर्ण रणनीति है जिससे उनका व्यवहार अत्यधिक सामाजिक हो जाता है।

६. एरेना मोजर एवम् टीम ने आस्ट्रेलिया १० वर्ष के शोध के बाद पाया की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ रखकर सहयोगी अधिगम कराने से समावेशी शिक्षा के लिए बेहतर सहयोग का कार्य करती है।

७. दोनोह्यू एवम् बोमन २०१४ ने "द चेलेंज ऑफ रीलाइजिंग इन्क्लूसिव एजुकेशन इन साउथ अफ्रीका" में अपने शोध अध्ययन के बाद समावेशी शिक्षा का वर्णन करते हुए बताया कि सभी के लिए शिक्षा के काफी समय बीत जाने के बाद भी दिव्यांग छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ शिक्षण की संभावना कम है। साउथ अफ्रीका में दिव्यांग बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवम् समावेशी शिक्षा में बाधाये है। अतः विकलांग छात्रों को जितनी जल्दी समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाएगा उतनी जल्दी वे समाज के लिए उत्पादक बन सकते है।

८. मिल्स, एवम् निधि २००८ नामक "द एजुकेशन फॉर ऑल एंड इन्क्लूसिव एजुकेशन डिबेट कॉन्फ्लिक्ट कंट्राडिक्शन ऑफ ऑपर्च्युनिटी" नामक शोध विषय की सहायता से यह बताया कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक सिद्धांतो समानता और सामाजिक न्याय संबंधित मूल्यों विश्वासो को प्राप्त करना है जिससे समस्त बालक शिक्षा में भाग ले सके।

९. गुप्ता १९९७ ने अध्यापकों के लिए समावेशी ने "अध्यापकों के लिए समावेशी शिक्षा दर्शिका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता हेतु।"

१०. चोपड़ा २००३ के द्वारा "समावेशी शिक्षा के प्रति प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कारक" विषय पर अध्ययन किया गया: उनके निष्कर्ष के अनुसार समावेशी और बहिष्कार के बीच की खाई को दूर करने के लिए शिक्षकों, अभिवावकों, समाज और

प्रशासकों और सरकार सामूहिक रूप से समावेशी शिक्षा की नीतियों को लागू करने के लिए काम करना चाहिए।

११. संथी एस.पी.२००५ के द्वारा विद्यालय में श्रवण बाधित बच्चों का समावेश शिक्षक की अभिवृत्ति पर एक सर्वेक्षण किया गया।

उनके निष्कर्ष के अनुसार-

१. दिव्यांग छात्रों के लाभ के लिए रणनीतियों को विद्यालयो में लागू किया जाना चाहिए।

२. अधिकांश शिक्षक दिव्यांग छात्रों को शामिल करने के लिए सहमत है।

३. शिक्षकों की योग्यता, शिक्षण अनुभव, लिंग, शिक्षा और प्रबंधन के स्तर के आधार पर व्यवहार में अंतर है।

१२. कथिरिया २००७ ने "समावेशी शिक्षा के संदर्भ में जूनागढ़ जिले के विद्यालयों का अध्ययन किया उनके निष्कर्ष अनुसार –

१. विशेष विद्यालयों में चल रही गतिविधियों पर सामान्य रूप से ध्यान दिया जा रहा है।

२. विशेष विद्यालयों में चल रही गतिविधियों पर सामान्य रूप से ध्यान दिया जा रहा है।

३. शिक्षकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करने की आवश्यकता है।

१३. रेफरटी एवम् ग्रीफीन २०१० ने "शिक्षकों की अभिवृत्ति और शैक्षिक उपलब्धि पर साहित्य की समीक्षा" पर अध्ययन किया उनके अनुसार –

१. समावेशी शिक्षा के लाभ और कमियों के बारे में राय और अनुसंधान बदलती है।

२. शिक्षक एक समावेशी वातावरण में शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षण विधियों की किस्म का उपयोग कर रहे है।

३. व्यावसायिक विकास समय और सहयोग के लिए आवश्यक हैं परन्तु योजना भी पर्याप्त नहीं है।

१४. खान २०११ ने "माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों में अभिवृत्ति ज्ञान के प्रति बांग्लादेश में समावेशी शिक्षा का अध्ययन किया और पाया कि -

१. माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को छोड़कर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की दिशा में मुख्य रूप से सकारात्मक अभिवृत्ति थी।

२. समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए अपर्याप्त ज्ञान,प्रशिक्षण की कमी है।

३. शिक्षण सामग्री की कमी शामिल है।

२.४ शोध से संबंधित अन्य शोध कार्य –

१. टाविन १९७१ ने प्रशिक्षित एवम् अप्रशिक्षित शिक्षकों का दृष्टिहीन विद्यार्थियों के प्रति अभिवृत्ति की समस्या का अध्ययन किया उनके अनुसार निष्कर्ष में पाया गया कि –

प्रशिक्षित शिक्षक सामान्य कक्षा में दृष्टिहीन विद्यार्थियों कों कक्षा में स्वीकार नहीं कर पा रहे है।

२. सिंह १९८७ के द्वारा बिहार के विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रदान समावेशी शिक्षा सुविधाओं का मूल्यांकनात्मक अध्ययन किया गया और उनके निष्कर्ष के अनुसार पाया गया कि-

१. शासन द्वारा अनुदानित सुविधाएं विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई।

२. विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं के प्रति विद्यार्थी उत्साहित नहीं पाए गए एवम् उद्देश्य प्राप्ति हेतु प्रदान स्रोतों कि केवल ३३% उपयोगिता ही प्राप्त हुई।

३. दिव्यांग विद्यार्थियों का अपने परिवारों से उत्तम सामंजस्य प्राप्त हुआ किन्तु दिव्यांग विद्यार्थियों एवम् अन्य विद्यार्थियों में संचार की कमी पाई गई। साथ ही शिक्षक के द्वारा इस अंतराल को कम करने हेतु किए गए प्रयास में भी कमी प्राप्त हुई।

३. देशमुख १९९४ ने समेकित शिक्षा प्रयोजन के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विकलांग तथा सामान्य छात्र छात्राओं की नवीनता का तुलनात्मक अध्ययन किया और निष्कर्ष पाया कि –

दिव्यांग छात्राओं में प्रवाहशीलता, विकलांग छात्रों की अपेक्षा अधिक पाया गया। लिंग तथा विकलांगता के प्रभाव में सार्थक अंतर है।

४. तिवारी १९९७-९८ ने भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल से सामान्य एवम् विकलांग विद्यार्थियों कि समेकित शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया और उनके अनुसार निष्कर्ष पाया गया कि –

दिव्यांग व सामान्य विद्यार्थियों कि सकारात्मकता अभिवृत्ति है क्योंकि विद्यार्थियों कि दिव्यंगता जन्मजात एवम् दुर्घटनावश हो सकती है और दिव्यांग भी अध्ययन करना चाहते है जिसमें विकलांगता बाधक नहीं है।

डॉ सुभाष सिंह २०१८ ने समावेशी शिक्षा और उसका प्रबंध का शोध किया

आज हम जिस वर्तमान युग में जी रहे है वह हर दृष्टिकोण से काफी उन्नत है और यही कारण है कि आज कि पीढ़ी अपने अधिकारों के प्रति काफी सजग है। यदि हम अधिकार आधारित प्रतिरूप की संकल्पना को इस निरंतर परिवर्तनशील और गतिशील समय की देन माने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। अधिकार आधारित प्रतिरूप में निर्भरता से आत्मनिर्भरता पर पूरा जोर दिया गया है।